



प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

7वां, 8वां तल, हन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उत्तरप्रदेश

ई-मेल आईडी: aldda@rediffmail.com

पत्र संख्या :

117 / मु030 / वि0प्रा0 / 2023

दिनांक : 14 दिसम्बर, 2023

अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा प्र0प्रा0 में सुरक्षित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों अथवा अन्य सरकारी विभागों/निगमों/विकास प्राधिकरणों/उत्तरप्रदेश एवं विकास परिषद्/में पंजीकृत एवं अपेक्षित अहंता रखने वाली फर्मों से कार्य की निविदा राखित नियम य शर्तों को अधीन दू-शिल सिस्टम में आगंक्तिकी जाती है:-

| क्र० सं० | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (₹० लाख में) | घरोड़र राशि (₹० लाख में) | निविदा प्रपत्र मूल्य सहित (₹० में) | निर्धारित श्रेणी | कार्य अवधि | निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| महाकृष्ण-2025 से आवश्यक आमंत्रण | | | | | | | |

विद्युत कार्य (मुननिविदा)

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|---------|-----------------------------|--------|---------------------|
| 01 | तेलियोनेज स्थित संगम याटिका पार्क से रस्तूलालाद घाट तक विद्युत सम्बन्धी कार्य। | 241.72 | 4.84 | 3,540/- | विद्युत श्रेणी "क अनुमोदित" | 09 माह | 29-12-2023 02:00 PM |
| 02 | अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद पार्क गेट नं-06 से संगम पेट्रोल पम्प कासिंग सोहबतियाबाग तक विद्युत सम्बन्धी कार्य सहित एल0ई0डी0 प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 379.44 | 7.59 | 4,720/- | तदैव | 09 माह | 29-12-2023 02:00 PM |
| 03 | महाकृष्ण-2025 के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज में नैनी ऐलवे त्तेश्वर से FCI सोड होते हुये जैरैल घाट तक विद्युत सम्बन्धी कार्य तहित एल0ई0डी0 प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 674.11 | 13.49 | 5,900/- | तदैव | 09 माह | 29-12-2023 02:00 PM |
| 04 | माठ उच्च न्यायालय के सामने स्थित उपरिगामी सेतु के दोनों तरफ की विद्युत प्रणाली भूमिगत किये जाने एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 517.00 | 10.34 | 5,900/- | तदैव | 09 माह | 29-12-2023 02:00 PM |

नियम व शर्तें:-

- निविदा शुल्क (नौन रिफडेल) या घरोड़र धनराशि निर्धारित समय तक प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी।
- विद्युत वितरण सहित निविदा प्रपत्र दिनांक 17-12-2023 को अपराह्न 02:00 बजे से उत्तर प्रदेश शासन द्वी ई-प्रोक्योरमेन्ट की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> से प्राप्त एवं देखे जा सकते हैं।
- निविदायें निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि बाले दिवस पर अपराह्न 3:00 बजे प्राधिकरण सभागार में खोली जायेगी।
- प्र0प्रा0 में अपंजीकृत कर्म का सफल निविदादाता होने पर उसको अनुबन्ध से पूर्व प्राधिकरण ने पंजीकरण कराना होगा।
- निविदा आमंत्रण सूचना से सम्बन्धित संशोधन/परिमार्जन समाचार पत्र में प्रकाशित न कर उक्त वेबसाइट पर ही अपलोड किये जायेंगे।
- निविदा मूल्य व जमानत (घरोड़र) धनराशि यूको बैंक, मुख्य शाखा, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के खाता संख्या-00320204000449 IFSC : UCBA0000032 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करते हुए प्राप्त यू0टी0आर० स्लिप (पृष्ठल-पृष्ठक) की रक्की कापी ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। निर्धारित निविदा शुल्क या घरोड़र धनराशि प्राधिकरण खाते में निर्धारित समय तक प्राप्त न होने वी स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा मूल्य की जमा धनराशि किसी भी वशा में वापस नहीं की जायेगी।
- निविदा खोले जाने की तिथि को अद्यकाश होने पर उसके ठीक आगले कार्य दिवस में निविदा खोली जायेगी।
- निविदादाता का आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। शासन द्वारा समय-समय पर लाभू आयकर, लेवर सेस एवं अन्य करों की कटौती पूर्व की भाँति ठेकेदार के द्वितीय से नियमानुसार की जायेगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
- निविदा प्रपत्र एवं इसके साथ संलग्न किये जाने वाले सभी प्रपत्रों को निविदादाता द्वारा स्वतंत्रताकारित किया जाना चाहिए।
- सरकार एवं अपूर्ण निविदा मान्य नहीं होगी।
- निविदादाता स्वयं स्वतंत्र देख लें और सही स्थिति से संतुष्ट होने के बाद ही निविदा ने दरै अकित करें। निविदा में दी गई दरें 03 माह तक मान्य होगी।

14.12.23
CC


12. निविदा दर 10% से अधिक निम्न होने की स्थिति में लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शास्त्रज्ञादेश संख्या-622/23-12-2012/09टी०सी० दिनांक 08-06-2012 के अनुसार अतिरिक्त सिक्षणोरिटी/परकॉरमेन्ट गारण्टी निविदा धनराशि पर देय होगी।
13. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर लगाये गये करों सहित नियमानुसार अन्य कटौतियों लोक निर्माण विभाग व शासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार फर्म/ठेकेदार के चलित देयक से की जायेगी।
14. निविदा स्वीकृति की दशा में निविदादाता को भवन और अन्य सम्पत्ति कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम-1996 के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अग विभाग में पंजीयन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
15. निविदादाता को निविदा में वर्णित मद्दों के समान प्रकृति के कार्य का अनुभव निविदा प्रपत्र के एनेक्जर-१ पर अंकित करते हुए संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में निविदा गान्धी नहीं होगी।
16. निविदा सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट pdaprayagraj.org.in पर एवं निविदा प्रपत्र ई-पोर्टल वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट को समय-समय पर देखते रहें। निविदाओं के सम्बन्ध में कोई भी संशोधन/परिवर्तन व अतिरिक्त सूचनाएं उक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
17. विशिष्ट श्रेणी के कार्यों हेतु किसी भी विकास प्राधिकरण/शासकीय विभाग में पंजीकृत फर्म निविदा में प्रतिभाग कर सकती है। प्राधिकरण में अपेंजीकृत सफल निविदादाता को प्र०वि०प्रा०, प्रयागराज में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण में पंजीकृत फर्मों को नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. कार्य की नात्रा में कमी/बड़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरुद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
19. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा घरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को काली-सूची में डाल दिया जायेगा। कार्य सम्बादन में विलम्ब किये जाने पर निविदा में प्रतिभाग करने से लिबार कर दिया जायेगा।
20. रेटेट बार काउंसिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही यदि निविदादाता का सगा सम्बन्धी (First Blood Relation & their dependent) प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कार्यरत है तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
21. निविदादाता को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उसका अथवा उसके पति/पत्नी का अथवा उसके किसी भी पार्टनर अथवा पार्टनर के पति/पत्नी का निकट का रिस्टेदार (पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, माझ, बहन) प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है। यदि किसी भी समय इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुए फर्म को कालीसूची में डाल दिया जायेगा।
22. निविदादाता को प्रस्तर-20 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त एक घोषणा पत्र इस आशय का देना आवश्यक होगा कि प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा में जिसमें वह भाग ले रहा है उसमें उसके रिस्टेदार, सम्बन्धी या सम्बन्धी की फर्म या कन्वनी भाग नहीं लेगी। इसके पिरीत यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्राधिकरण में इन तथ्यों को छिपाया गया है अथवा किसी समय इनकी अवहेलना की गई है तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि यह आवेदक का पंजीकरण अविलम्ब निरस्त कर दे और उसके पक्ष में यदि कोई कार्य आवंटन है तो उसको भी समाप्त करते हुए उसकी जमा धनराशि को प्राधिकरण अविलम्ब जब्त कर लेगा।
23. आवेदक या पंजीकृत किये जाने वाले ठेकेदार पर कम्टीशन एक्ट, 2002 के समर्त प्राविधान लागू होंगे और उनकी अवहेलना करने पर प्राधिकरण को सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।
24. विद्युत सम्बन्धी कार्य ठेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० तथा यू०पी०पी०सी०एल० से अनुमोदन लेने एवं कार्य को यू०पी०पी०सी०एल०/नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने की जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
25. यदि कोई निविदादाता विड रिजिंग/Bid Collusion में सम्बंधित पाया जाता है अथवा निविदा की स्वस्थ प्रतियोगिता की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से दूषित करता है तो उसे भविष्य में होने वाली निविदा में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।
26. प्राधिकरण में सभी निर्माण/विकास/अनुरक्षणीय कार्यों हेतु डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 02 वर्ष निर्धारित है।
27. 50% निर्धारित समय अवधि के पश्चात् कार्य की वित्तीय प्रगति 25% से कम होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य समाप्त तक प्राधिकरण की निविदाओं में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रतिबन्धित किया जायेगा।
28. निविदादाताओं को निविदा शुल्क एवं घरोहर धनराशि की RTGS/NEFT के माध्यम से जमा होने की स्लिप/रसीद की मूलप्रति निविदा खोलने के अगले कार्य-दिवस में सम्बन्धित अधिशासी अभियंता के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
29. निविदादाताओं द्वारा निविदा शर्तों के अनुरूप ही वांछित प्रपत्रों को टेक्निकल विड में अपलोड किया जाये एवं उस पर पेज नम्बर डाला जाये तथा कोई अनावश्यक प्रपत्र न लगाया जाय।

मुख्य अभियंता

१५.१२.२३

पत्रिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष नहोदय को सादर अपलोकनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक / ओ०एस०डी० को सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी—कम्प्यूटर को प्राधिकरण की वेबसाइट www.pdaprayagraj.org.in पर समय से अपलोड कराने हेतु।
4. प्रभारी अधिकारी—जनसम्पर्क को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा को नियमुन्सार दैनिक समाचार—पत्रों यथा प्रयागराज में दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान तथा लखनऊ एवं गाजियाबाद में अमर उजाला में प्रकाशित कराने एवं प्रकाशन के उपरान्त सम्बन्धित समाचार—पत्रों की प्रति उपलब्ध कराने का काष्ट करें।
5. प्रभारी अधिकारी—ई—टेंडरिंग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदाओं को ई—प्रोक्योरमेन्ट की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर समय से अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित अधिकारी अनियन्ताओं को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदाओं से सम्बन्धित टेंडर डॉक्यूमेन्ट निर्धारित समय में ई—प्रोक्योरमेन्ट की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें एवं अपलोडिंग के उपरान्त इसकी प्रति डाउनलोड कर सम्बन्धित पत्रावली में रखी जाये।
7. पुलिस इन्फोर्मेन्ट सेक्शन विभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित रहें।
8. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


मुख्य अभियन्ता । १५।१२।२३